GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2006/PM10/5

New Delhi, dated: 18/02/2011

The General Manager (P),
All Indian Railways and
Production Units.

Sub: Promotion to the post of Physiotherapist Gr.I r. 6500-10500/PB-2 Rs. 9300-34800 GP Rs. 4600.

-.-.-.-

In terms of this Ministry's letter No. PC-III/2005/CRC/4 dated 30/11/2006, cadre restructuring, in the category of Physiotherapist, Medical Department, is to be done on functional, operational and administrative considerations in the ratio of 60:40% in grade Rs. 6500-10500/PB-2 Rs. 9300-34800 GP Rs. 4600 and Rs. 5500-9000/PB-2 Rs. 9300-34800 GP Rs. 4200, respectively.

2. It has been brought to the notice of this Ministry that restructuring order has not been implemented by large number of Railways/PUs, resulting in a situation that there will be anomaly in promotion to higher grade of 6500-10500/PB-2 GP 4600 as the promotion to this grade was centralised with Northern Railway being implementing agency vide RBE No. 52/2007 dated 2/4/2007, and the post will be kept floating.

3. The matter has been considered by this Ministry and it has been decided that in order to avoid the above anomalous situation, all Zonal Railways/PUs should send the vetted figure of posts held as on 1/1/2006 in Grade Rs. 5500-9000 and Grade Rs. 6500-10500, to Northern Railway, who will do the restructuring enunciated in Railway Board's letter dated 30/11/2006. Required surrender value will be met by Railway Board vacancy Bank. This surrender value is being met by Railway Board as an exception due to unique situation and need not to be quoted as precedent for any other cases.

4. On receipt of information on the restructuring done by Northern Railway, further promotion should also be immediately processed by Northern Railway.

Hindi version will follow.

Please acknowledge receipt.

(R. MUKUNDAN)
Executive Director, Estt.(N)
Railway Board.

कृपया जारी करें

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एनजी)I/2006/पीएम10/5

नई दिल्ली, दिनांक: 18.02.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां।

विषय: फीजियोथैरेपिस्ट ग्रेड-I ₹ 6,500-10,500/पीबी-2 ₹ 9,300-34,800/- ग्रेड पे ₹ 4,600/- के पद पर पदोन्नति।

इस मंत्रालय के दिनांक 30.11.2006 के पत्र सं. पीसी-III/2005/सीआरसी/4 के अनुसार, फिजियोथैरेपिस्ट, मेडिकल विभाग की कोटि में संवर्ग पुनर्संरचना क्रमशः ₹ 6,500-10,500/- के ग्रेड पीबी-2 ₹ 9,300-34,800/- ग्रेड पे ₹ 4,600/- एवं ₹ 5,500-9,000/पीबी-2 ₹ 9,300-34,800/- ग्रेड पे ₹ 4,200/- में 60:40% के अनुपात में कार्यात्मक, परिचालनिक एवं प्रशासनिक आधार पर की जानी है।

2. इस मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है कि पुनर्संरचना संबंधी आदेश कई रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6,500-10,500/पीबी-2 ग्रेड पे ₹ 4,600/- के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति में विसंगति पैदा होगी, क्योंकि इस ग्रेड में पदोन्नति, दिनांक 02.04.2007 के आरबीई सं. 52/2007 द्वारा कार्यान्वित एजेंसी होने के कारण, उत्तर रेलवे के पास केन्द्रित की गई थी और पद को फ्लोटिंग रखा जाएगा।

3. इस मामले पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त विसंगति की स्थिति से बचने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां ₹ 5,500-9,000/- के ग्रेड में एवं ग्रेड ₹ 6,500-10,500/- में 01.01.2006 को पदों के विधिवत् आंकड़े उत्तर रेलवे को भेजें जो रेलवे बोर्ड के दिनांक 30.11.2006 के पत्र में सूचित किए गए अनुसार संवर्ग पुनर्संरचना करेगी। अपेक्षित सरेंडर वेल्यू रेलवे बोर्ड के रिक्ति बैंक द्वारा पूरी की जाएगी। यह सरेंडर वेल्यू विशिष्ट स्थिति होने के कारण अपवाद के रूप में रेलवे बोर्ड द्वारा पूरी की जा रही है। किन्हीं अन्य मामलों के लिए पूर्ववर्ती उदाहरण के रूप में इसे उद्धृत नहीं किया जाएगा।

4. उत्तर रेलवे द्वारा की गई पुनर्संरचना संबंधी सूचना प्राप्त होने पर आगे पदोन्नति संबंधी कार्रवाई उत्तर रेलवे द्वारा तत्काल की जाए।

कृपया पावती दें।

(आर. मुकुंदन)
कार्यपालक निदेशक, स्था. (अराज.)
रेलवे बोर्ड।

Ministry of Railways
Railway Board
Enclosure
O/C

ESST-E (NG) I